न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 47/2022 (GCMS No. 2022/49) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामेश्वर उम्र 59 साल
2. पुरूषोत्तम उम्र 70 साल
3. बद्री उम्र 64 साल
4. कामेश्वर उम्र 61 साल

पुत्रान स्व. गेंदा जाति मीना निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली राज.

.....अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 14.02.2022 मुकदमा नं. 32/2021 उनवानी रामेश्वर वगै. बनाम सरकार एवं निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार करौली दिनांक 08.02.2021 प्रकरण संख्या 430/2020 उनवान सरकार बनाम रामेश्वर वगै. अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट।

उपस्थिति:–

1. अपीलांटस की ओर से श्री मुकेश सिंह जादौन, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य

दिनांक : 24.01.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 14.02.2022 एवं नायब तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 08.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांटस ने आराजी खसरा नम्बर 25 रकवा 4 बीघा किस्म चारागाह वांके ग्राम मकनपुर चौवे तहसील करौली में कब्जा कर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटस को बेदखल करने व शरह लगान 3.20 रूपये के 50 गुणी से 160/– रूपये के दण्ड से दण्डित किया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्णय को सही मानने हुये अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित साक्ष्य का अवसर व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। गांव में पार्टीवाजी की बजह से अपीलांटस के विरूद्व 91 की रिपोर्ट बेजा तंग व परेशान करने की गर्ज से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर गंभीर त्रुटि की है जब तक पूर्व निर्णय की पालना में मौके से बेदखल नहीं कर दिया जाता है पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्व में बेदखल करने का कोई साक्ष्य न होते हुये भी अपील खारिज की गई है। अपीलांटस का मौके पर कब्जा नहीं है। भविष्य में कब्जा नहीं करेगा इस बावत अन्डरटेकिंग देने के बाद भी निर्णय पारित किया गया है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित न्यायिक नजीरों पर कोई गौर नहीं किया गया। अपील निर्णय दिनांक 14.02.2022 से 14.04.2022 तक पेश होनी चाहिए जिस बावत् प्रार्थना पत्र 16.02.2022 को पेश करने पर दिनांक 22.02.2022 को तैयार होकर 02.03.2022 को जारी हुई। नकल प्राप्ती में व्यतीत समय को घटाते हुए अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2021 एवं 14.02.2022 निरस्त फरमाये जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का द्वारा तहसील में प्रस्तुत धारा 91 एलआर एक्ट की रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का स्पष्ट अंकन है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 में भी उक्त आराजी पर मौके पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है। वकील अपीलांटस की दलीलों से हम कतई भी सहमत नहीं है। ऐसे में अपीलांटस की अपील पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसंगत होने से हमारी राय में उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 14.02.2022 एवं नायब तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 08.02.2021 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर